

भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1981
दिनांक 11.03.2025 को उत्तरार्थ

ग्राम मानचित्र एप्लिकेशन

+1981. श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) ग्राम मानचित्र एप्लिकेशन के प्रभाव का ब्यौरा क्या है और यह किस प्रकार पंचायत स्तर पर शासन में परिवर्तन ला रहा है;
- (ख) क्या सरकार पंचायत सत्र पर प्रौद्योगिकीय प्रगति के उपयोग में सुधार लाने के लिए कोई अन्य कदम उठा रही है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री
(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक नियोजन को प्रोत्साहित करने हेतु भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) एप्लीकेशन "ग्राम मानचित्र" (<https://grammanchitra.gov.in>) लॉन्च किया था। यह एप्लीकेशन ग्राम पंचायतों को भू-स्थानिक तकनीक के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजन करने में सुविधा और समर्थन प्रदान करता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले विकास कार्यों और ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के लिए निर्णय सहायता प्रणाली प्रदान करके एकल/एकीकृत भू-स्थानिक मंच देता है। इसके जरिए ग्राम पंचायतों द्वारा केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान के तहत कार्यों की योजना और कल्पना के लिए किया जा रहा है।

मंत्रालय ने 19 भागीदार योजना और वास्तुकला संस्थाओं की मदद से स्थानिक आधारित ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीएसडीपी) तैयार करने के लिए 14 राज्यों में 36 ग्राम पंचायतों (जीपी) में पायलट परियोजना शुरू की है। पायलट ग्राम पंचायतों के लिए स्थानिक नियोजन किया जाएगा। इसमें भूमि उपयोग योजना होगी, जिससे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध भूमि और संसाधनों का सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करने में मदद मिलेगी। इसमें बुनियादी संरचना, सामाजिक आर्थिक, पर्यटन, विरासत संरक्षण, आपदा प्रबंधन आदि से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक वार्षिक कार्य योजना भी होगी, जो जीपी को विकास गतिविधियों की योजना तैयार करने में मदद करेगी। इसके अतिरिक्त, गांवों में छतों पर सौर ऊर्जा की क्षमता निर्धारित करने के लिए ग्रामीण आबादी मानचित्रों का उपयोग किया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। मंत्रालय ने पंचायत स्तर पर तकनीकी प्रगति में सुधार करने के लिए कदम उठाए हैं।

मंत्रालय स्वामित्व योजना को लागू कर रहा है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के मालिक को "अधिकारों का रिकॉर्ड" प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को सक्षम बनाना है। इस योजना का उद्देश्य नवीनतम ड्रोन आधारित सर्वेक्षण और निरंतर संचालन संदर्भ स्टेशनों (सीओआरएस) तकनीक के माध्यम से ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि का सीमांकन करना है। ड्रोन और सीओआरएस नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के नक्शे बनाए जाते हैं। अत्यधिक सटीक मानचित्रों के उपयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (जीपीडीपी) तैयार करने और संपत्ति कर के आकलन को सुव्यवस्थित करने के लिए किया जा सकता है।

इसके अलावा, ई-पंचायत एमएमपी के तहत विकसित ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन ने डिजिटल नियोजन, लेखांकन, निगरानी और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान की है। मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ ई-ग्रामस्वराज को भी समाहित किया है ताकि विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान किया जा सके। वर्ष 2024-25 में, 2.54 लाख ग्राम पंचायतों ने अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (जीपीडीपी) अपलोड कीं और विक्रेता/सेवा प्रदाताओं को ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस के माध्यम से 55,000 करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किए।

इसके अलावा, मंत्रालय ने पंचायत खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए ई-ग्रामस्वराज को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के साथ एकीकृत किया है। यह एकीकरण पंचायतों को ई-ग्रामस्वराज प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीईएम के जरिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे "वोकल फॉर लोकल" पहल को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा विकसित मेरी पंचायत जैसे एप्लीकेशनों ने पंचायत में आयोजना, गतिविधियों और कार्यों की प्रगति की जानकारी को जनता के लिए सुलभ बनाकर पंचायत शासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। इसी तरह, पंचायत निर्णय एक ऑनलाइन एप्लिकेशन है जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के संचालन में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन लाना है।

इसके अलावा, पंचायत खातों और उनके वित्तीय प्रबंधन के ऑनलाइन ऑडिट के लिए 'ऑडिटऑनलाइन' एप्लिकेशन तैयार किया गया है। अप्रैल 2020 में पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए केंद्रीय वित्त आयोग की निधि के उपयोग के पारदर्शी लेखापरीक्षण के लिए ऑडिटऑनलाइन शुरू किया गया। लेखापरीक्षा वर्ष 2023-24 के लिए, 2.44 लाख लेखापरीक्षा योजनाएँ बनाई गई हैं और पीआरआई द्वारा 2.09 लाख लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई हैं।
